

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] No. 128] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2009/श्रावण 28, 1931

[ रा.रा.सेत्र दि. सं. 135

DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2009/SRAVANA 28, 1931

[N.C.T.D. No. 135

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 19 अगस्त, 2009

सं. फा. 1(6)/मंड-II/पीएफए/2008-09/9969.— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-4-1957 की अधिसूचना फा. सं. 14/46/57-एफ के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री शशि मोहन भारद्वाज, कैमिस्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं।

तथापि श्री शशि मोहन भारद्वाज कैमिस्ट की लोक विश्लेषक के रूप में उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी :—

- िक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में लोक विश्लेषक के कार्यों का निर्वहन तब तक करेंगे जब तक लोक विश्लेषक की नियमित नियुक्ति न हो जाए ।
- 2. कि वह खाद्य अपिमश्रण निवारण निदेशालय में वेतन लेते रहेंगे तथा उपरोक्त लोक विश्लेषक के रूप में कार्य करने के लिए उसे किसी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
- 3. कि उसका लोक विश्लेषक या उससे संबद्ध वेतनमान या उक्त नियुक्ति के लिए किसी अन्य समकक्ष पद के लिए दावा, हक या अधिकार नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, डॉ. ए. के. सिंगला, संयुक्त सचिव

## HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 19th August, 2009

No. F. 1(6)/Div-II/PFA/2008-09/9969.—In exercise of powers conferred by Section 8 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 read with the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare's Notification No. F. 14/46/57-F dt. 24-4-1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Shashi Mohan Bahrdwaj, Chemist to be the Public Analyst for the National Capital Territory of Delhi.

However, the above mentioned appointment of Sh. Shashi Mohan Bahrdwaj, Chemist as public Analyst is subject to the following conditions:—

- That he will work as the Public Analyst till the regular appointment to the Post of Public Analyst is made.
- 2. That he will continue to draw his salary as a Chemist in the Directorate of PFA and no extra remuneration will be admissible to him for working as Public Analyst as above.
- 3. That he will have no claim, title or right to the post of Public Analyst or the scale of pay attached thereto or any other equivalent post for the said appointment.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. A. K. SINGLA, Jt. Secy.

3010 DG/2009

(1)